कार्यालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
जनपद न्यायालय हापुड़।

पत्रांक– 01 /परिवार न्यायालय/जनपद न्यायालय हापुड़। दिनांक– 14 जुलाई 2017

निविदा/टेण्डर

जनपद न्यायालय हापुड़ स्थित परिवार न्यायालय में न्यायालय, कार्यालय, चैम्बर एवं आवासीय कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर जिनमें कुर्सी (अधिकारी हेतु) 01 अदद, मेज (अधिकारी हेतु) 01 अदद, सोफा सेट (5 सीटर) 01 अदद, कुर्सी (लकड़ी की) 28 अदद, मेज 09 अदद, मेज बड़ी 01 अदद, स्टूल 04 अदद, रैक (लोहे की) 03 अदद, आलमारी 06 अदद, तख्त (लकड़ी) 01 अदद का क्रय किया जाना है।

अतः उपरोक्त वर्णित वस्तुओ की आपूर्ति हेतु निविदा/टेण्डर के द्वारा पंजीकृत फर्मो द्वारा दिनांक 20.07.2017 की अपराह्न 12:00 बजे तक सील बन्द लिफाफें में आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की विशिष्टियां, निविदा हेतु निर्धारित फार्म, निविदा की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05:00 बजे तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय हापुड़ से 100 रू0 अदा कर के प्राप्त किये जा सकते है। निविदा फार्म के साथ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के पक्ष में देय 10000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट/चेक दिनांक 20.07.2017 की अपराह्न 12:00 बजे तक निविदा/टेण्डर के साथ जमा करना होगा। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर निविदाएं स्वीकार नही की जायेगी। उक्त निविदाएं दिनांक 20.07.2017 की सायं 04:00 बजे खोली जायेगीं। निविदाएं खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(कमलेश दुबे)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
जनपद न्यायालय
हापुड़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक–प्रचार प्रसार हेतु–

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश हापुड़।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी हापुड़।
3. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद, हापुड़।
4. तहसीलदार, सदर जनपद हापुड़।
5. नोटिस बोर्ड, हापुड़ विकास प्राधिकरण।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी हापुड़।
7. कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

परिवार न्यायालय, जिला न्यायालय हापुड में उपयोगार्थ फर्नीचर कय किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्ते एवं प्रतिबंध–

1. निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

2. निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी मॉडल नं0 आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

3. प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 10,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट/चेक प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हापुड़ के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना होगा।

4. भुगतान सामान की आपूर्ति किये जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा। भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।

5. बिना धरोहर धनराशि के निविदाएं स्वीकार नही की जायेगी तथा फर्मो की कोई शर्त बाध्यकारी नही होगी।

6. निविदा की देय में सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित होने चाहिए बाद में किसी प्रकार का टैक्स एवं माल की मूल्य वृद्धि मान्य नही होगी।

7. यदि आपूर्ति की गयी वस्तुओं में कोई मैन्युफेक्चरिंग त्रुटि या अन्य किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे आपूर्ति कर्ता द्वारा वापस लेकर पुनः सही वस्तु की आपूर्ति अपने व्यय पर करनी होगी। ऐसी दशा में पुनः आपूर्ति के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

8. गुणवत्ता एवं आपूर्ति के पश्चात सेवाओं को प्रदान करने को तत्परता दिखाने वाली फर्मो की प्राथमिकता दी जायेगी।

9. निविदा कर्ताओं में से जो भी निविदा कर्ता उपरोक्त शर्तो में से किसी एक भी शर्त को पूर्ण नहीं करेगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
जनपद न्यायालय हापुड़।